बायोई3 चुनौतियों की रूपरेखा:
"युवाओं को अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाना"
प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी):
श्रेणी 1- स्कूली छात्र (कक्षा VI-XII) (केवल MyGov इनोवेट इंडिया (https://innovateindia.mygov.in/) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं।

1. भूमिका

बायो-ई3 चुनौती की रूपरेखा

बायोई3 चुनौती की रूपरेखा, बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति ढांचे के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवा छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा संचालित अभिनव, सम्पोषणीय और विस्तार किए जाने वाले जैव प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रेरित करना है, जिसका व्यापक विषय "युवाओं को अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाना" है।

बायोई3 नीति के बारे में: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी

24 अगस्त, 2024 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दी। यह एक ऐसा ढाँचा है जो जैव-निर्माण के माध्यम से एक अधिक न्यायसंगत और सम्पोषणीय भविष्य के निर्माण हेतु जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और डिजिटलीकरण के बीच समन्वय स्थापित करता है। बायोई3 नीति में हरित, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है और देश को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन से काफ़ी आगे, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर ले जाती है।

- **संरचना**

  - **दृष्टिकोण**: 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए, भारत को सम्पोषणीय जैव-विनिर्माण में विश्व के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है।

- **भविष्य को संवारे**: ऐसे विचारों के लिए योगदान करने का अवसर जो सुरक्षित रूप से स्वतः जैविक नवाचारों की सहायता से वास्तव में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है
- **युवा प्रेरित परिवर्तन**: युवा मस्तिष्कों को अपनी रचनात्मकता और नये विचार प्रदर्शित करने का एक मंच
- **दृष्टिक्षेत्र और मान्यता**: वैज्ञानिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में अलग दिखने का अवसर
- **कौशल विकास**: भविष्य के नेतृत्व के लिए समस्या-समाधान, टीमवर्क और डिजाइन पर विचार करने के कौशल में तेजी लाना है।
- **नेटवर्किंग के अवसर**: वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों, मार्गदर्शकों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करना और भविष्य के करियर के द्वार खोलना
- **प्रभावशाली विचारों से कार्रवाई तक**: बायो ई-3 के लिए 'डिजाइन' विचार से कार्यान्वयन तक का मार्ग है
- **राष्ट्र सेवा**: भारत की आत्मनिर्भरता और सतत विकास में योगदान
- **लक्ष्य:** नवाचार से प्रौद्योगिकी की ओर तेजी से बढ़ने के लिए अलग-अलग प्रयासों को एकजुट करना
- **उद्देश्य:** कुशल, सम्पोषणीय और विस्तार योग्य जैव-आधारित उत्पादों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाना।

➢ ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन और कार्बन से मुक्ती के लिए अनुसंधान एवं नवाचार।
- घरेलू स्तर पर मज़बूती से विस्तार, प्रायोगिक और व्यावसाय-पूर्व जैव-विनिर्माण क्षमता।
- प्रचलित प्रणालियों का लाभ उठाने वाली बेहतर कार्य-निष्पादन वाली प्रक्रियाएँ।
- खाद्य,स्वास्थ्य,कृषि-जीव विज्ञान, समुद्र और अंतरिक्ष में जैव-आधारित उत्पादों को बढ़ावा।

➢ प्रभाव

- बायोई3 ने जैव विनिर्माण के छह विषयगत क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व, कम कार्बन अवशेष और त्वरित विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार की है

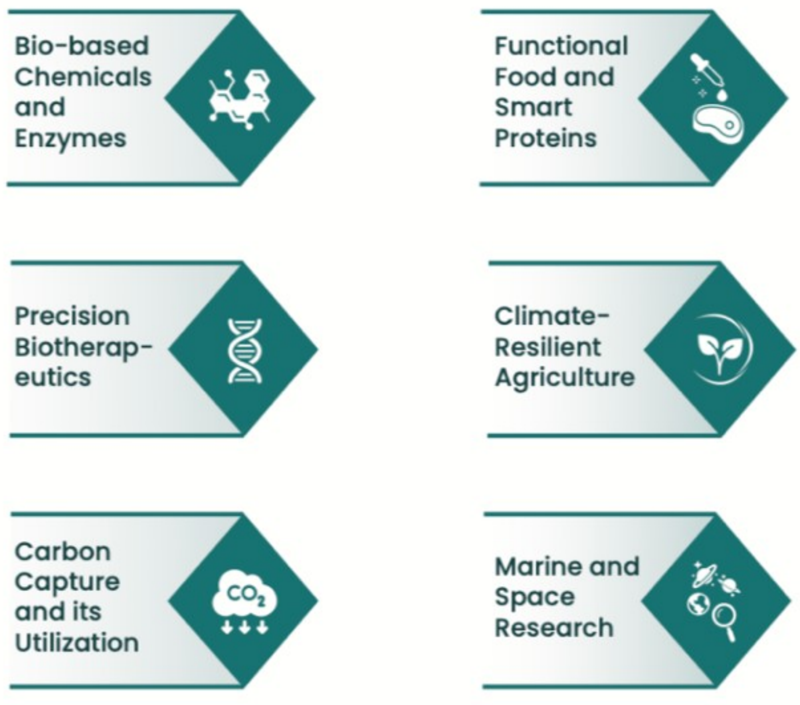

बायो ई-3 के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें:

bmi.dbtindia.gov.in/biomanufacturing-initiative.php

बायोई3 नीति पर पुस्तिका

dbtindia.gov.in/sites/default/files/BioE3%20Policy%20Brohcure.pdf

बायो ई-3 पर व्याख्यात्मक वीडियो:

https://youtu.be/LgiCzsKLVPA?si=mbkeL6zGJi9Ljhg9

बायो ई-3 के लिए 'डिज़ाइन': "युवाओं को अपने समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाना"

वर्तमान आरएफपी के अंतर्गत पूरे भारत के स्कूली छात्रों (कक्षा VI-XII) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ताकि वे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सूक्ष्मजीवों, अणुओं और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नवीन डिज़ाइन और समाधान तैयार कर सकें। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कल्पनाशील, रचनात्मक और संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से बायोई3 नीति और इसे लागू करने की संभावनाओं के संबंध में अपनी बुनियादी समझ प्रदर्शित

करें। प्रतिभागियों को हमारे देश के एक स्थायी, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में अपने विचारों की नवीनता, व्यवहार्यता और संभावित योगदान को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीडियो प्रस्तुत करने के लिए चुनौतियों के कुछ उदाहरण इस दस्तावेज़ के भाग 2 में दिए गए हैं।

- **डी-** वास्तविक आवश्यकताओं को निर्धारित करें: या अर्थव्यवस्था, पर्यावरण या रोज़गार में पूरी नहीं हुई आवश्यकताओं को निर्धारित करें।
- **ई-** साक्ष्य सर्वप्रथम: उपयोगकर्ता अनुसंधान + साहित्य + ज़मीनी हकीकत (किसान, एमएसएमई, जन स्वास्थ्य)
- **एस-** डिज़ाइन से सम्पोषणीयता: जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए), शून्य-अपशिष्ट सिद्धांत, हरित रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग
- **आई-** एकीकरण: बायो एक्स डिजिटल एक्स इंजीनियरिंग एक्स नीति एक्स वित्त
- **जी-** बाज़ार तक पहुँच: सरकारी खरीद, किसान सहकारी समितियाँ, जन स्वास्थ्य अपनाना
- **एन-** शुद्ध-सकारात्मक प्रभाव: रोज़गार सूचकांक, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, समान पहुँच

➢ **चुनौती:** राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में सुरक्षित जैविक नवाचारों के लिए बायोई3 को बढ़ावा देना।

➢ बायोई3 चुनौती का संभावित परिणाम:

बायोई3 चुनौती का डिज़ाइन युवा छात्रों में अपने समय की चुनौतियों का सामना करने और भारत के सतत, समतामूलक और आत्मनिर्भर विकास के लिए नए समाधान का प्रस्ताव करने हेतु जिज्ञासा और उत्साह पैदा करेगा।

➢ शीर्ष 10 प्रतिभागियों को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे।

➢ 20-30 अन्य प्रतिभागियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे। चयनित विचारों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और आधिकारिक पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे युवा अन्वेषक अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे और उन्हें मान्यता मिलेगी।

➢ इस दस्तावेज़ में विस्तृत पंजीकरण निर्देश दिए गए हैं।

➢ आवेदन विंडो अगले 12 महीनों तक हर महीने के पहले 20 दिनों तक खुली रहेगी। आवेदनों का पहला दौर 1 नवंबर, 2025 से शुरू होकर 20 नवंबर, 2025 (सायं 5:30 बजे) तक चलेगा।

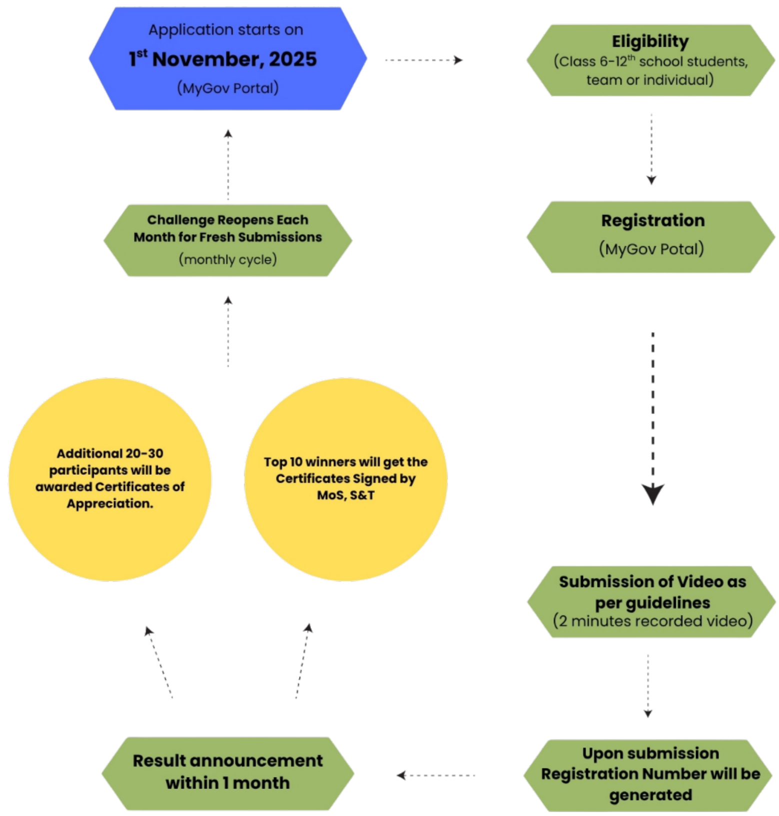

2. छात्र परियोजनाओं के लिए ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्र (कक्षा VI-XII)

प्रतिभागियों को निम्नलिखित चुनौतियों (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं): का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

○ **"व्यक्तिगत चिकित्सा: विज्ञान जिसे आप सबसे बेहतर जानते हैं"**
– व्यक्तिगत चिकित्सा किस प्रकार रोगियों के उपचार परिणामों को नया रूप देगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी।
– प्रोबायोटिक फ़ॉर्मूले जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं या पेट के संक्रमण से लड़ते हैं।

o "मोनोक्लोनल एंटीबॉडी: आपके शरीर के छोटे अंगरक्षक"
– बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए मोनोक्लोनल डिज़ाइन करना

o "सीआरआईएसपीआर: आपके डीएनए के लिए सुपर सिजर
– रोग निदान, कोशिका और जीन थेरेपी, बेहतर फसल आदि के लिए सीआरआईएसपीआर तकनीक।

- **"महामारी रक्षक: टीका किस प्रकार दुनिया की रक्षा करता हैं"**

– किफ़ायती टीके बनाने के लिए इंजीनियर्ड यीस्ट/बैक्टीरिया

- **"मिशन: जीन रिपेयर - वैज्ञानिक कैसे डीएनए का पुनर्संरचना करते हैं"**

– आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए क्षतिग्रस्त डीएनए की रिपेयर

- **"एमआरएनए जादू: कोशिकाओं को ठीक करना सिखाना!"**

– पुनर्योजी चिकित्सा में एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी कारक के रूप में एमआरएनए

- **निदान और रोग का पता लगाना**

– जलजनित रोगजनकों (जैसे ई. कोलाई, हैजा, या टाइफाइड) का पता लगाने के लिए माइक्रोबियल सेंसर

– विषैले पदार्थों या रोग अभिचिह्नकों की उपस्थिति में चमकने वाले इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीव

– ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित निदान के लिए दस्तावेज के आधार पर माइक्रोबियल परीक्षण पट्टियाँ

- **पुनर्योजी चिकित्सा और उपचार**

– घाव भरने या त्वचा की मरम्मत में सहायक प्राकृतिक यौगिक उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव

– जलने से होने वाली चोटों में संक्रमण को रोकने वाले माइक्रोबियल जेल तैयार करना

- **प्लास्टिक खाने वाले सूक्ष्मजीव/ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के विकल्प**

– पॉलीस्टाइरीन जैसे सामान्य प्लास्टिक को विघटित करने वाले सूक्ष्मजीव

– नवीकरणीय बायोमास (जैसे स्टार्च, शैवाल, या कृषि अपशिष्ट) का उपयोग करके जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक या बायोप्लास्टिक

– बंद-लूप चक्रों (उत्पादन → उपयोग → जैव-निम्नीकरण) का डिज़ाइन

- **स्वच्छ जल उपचार के लिए सूक्ष्मजीव**

– प्रदूषकों को विघटित करने वाले बायोफ़िल्टर

– भारी धातुओं को हटाने के लिए माइक्रोबियल मैट या बायोफिल्म का उपयोग

– ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए पोर्टेबल माइक्रोबियल जल शोधक

- **तेल रिसाव और औद्योगिक अपशिष्ट सफाई**

– हाइड्रोकार्बन-अपघटनकारी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जैव-उपचार

– तेल या रासायनिक रिसावों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पर्यावरण-अनुकूल समाधान

- **कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण**
  - CO_2 को जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक या प्रोटीन जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों का उपयोग

- **जलवायु अनुकूल कृषि**
  - रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए माइक्रोबियल जैवउर्वरक
  - सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी फसलें

- **सूक्ष्मजीव-आधारित पोषक तत्व या खाद्य उत्पादन**
  - किण्वन-आधारित नवीन खाद्य प्रणालियाँ (जैसे, माइक्रोबियल प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रास्युटिकल्स)
  - विटामिन, खनिज या अमीनो अम्ल उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव

- **जल को पीने योग्य बनाने वाले सूक्ष्मजीव**
  - जल को विलवणीकरण या शुद्ध करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीव

- **अंतरिक्ष, स्वास्थ्य या जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में सूक्ष्मजीवों का भविष्योन्मुखी उपयोग**
  - लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों (ऑक्सीजन उत्पादन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, खाद्य पूरक आदि) के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों के रूप में सूक्ष्मजीव
  - रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए संशोधित सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जैव-निदान
  - सूक्ष्मजीवी "जलवायु कवच" (शहरों में अत्यधिक गर्मी या प्रदूषण को कम करने के लिए जैव-आधारित समाधान)

- **जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों से संबंधित अन्य डिज़ाइन इकाइयाँ**
  - वेक्टर नियंत्रण के लिए सूक्ष्मजीवी (जैसे, डेंगू मच्छरों की आबादी कम करने के लिए वोल्बाचिया बैक्टीरिया) समाधान
  - छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए जैव-बैटरी बनाने हेतु संशोधित सूक्ष्मजीव
  - डिजिटल-जैव संकर (एआई, एलओटी या रोबोटिक्स का उपयोग करके)

3. सहभागिता और आवेदन जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश

- देश भर के किसी भी स्कूल या संस्थान में नामांकित कक्षा VI-XII के छात्र केवल MyGovINNOVATE India पोर्टल के माध्यम से 'डिज़ाइन' के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं।

- आवेदन विंडो अगले 12 महीनों तक हर महीने में 20 दिनों के लिए खुली रहेगी। आवेदनों का पहला दौर 1 नवंबर, 2025 से शुरू होकर 20 नवंबर, 2025 (सायं 5:30 बजे) तक चलेगा।प्रतियोगिता 1 वर्ष तक जारी रहेगी।
- एक टीम में एक ही स्कूल के छात्र शामिल होने चाहिए और वे अलग-अलग कक्षाओं के भी हो सकते हैं, जिनका एक निर्दिष्ट टीम लीडर होगा। टीम में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। नामित टीम लीडर पंजीकरण फॉर्म भरने, फॉर्म से संबंधित सभी कार्यकलापों का प्रबंधन करने, टीम की ओर से सभी प्रविष्टियों/डिज़ाइन प्रस्तुतियों का संचालन करने और MyGov Innovate पोर्टल में पंजीकरण के लिए स्वयं/अभिभावक का एक अनिवार्य ईमेल आईडी उपलब्ध कराने तथा भविष्य में सभी सूचना के आदान-प्रदान के लिए ज़िम्मेदार होगा। **इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए टीम लीडर का विवरण आवश्यक है।**
- सदस्यों को जोड़ने में टीम लीडर की भूमिका: अपना विवरण (अनिवार्य) दर्ज करने के बाद, टीम लीडर को आवेदन जमा करने से पहले सभी टीम सदस्यों का विवरण जोड़ना होगा। टीम लीडर के अलावा, अधिकतम 4 और सदस्यों को जोड़ने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- टीम लीडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण फॉर्म में सभी सदस्यों का विवरण सही-सही भरा गया हो।
- सभी टीम सदस्यों के सभी आवश्यक विवरणों के साथ भागीदारी फॉर्म जमा करने के बाद, इसे लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद टीम संरचना में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- एक टीम लीडर/आवेदक किसी विशेष महीने में कई प्रविष्टियाँ जमा कर सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद (आवेदन करने के एक महीने बाद), जिन टीमों का चयन नहीं होता है, वे अपने प्रस्तावों को संशोधित करके पुनः जमा कर सकती हैं—या अगली आवेदन विंडो में (अर्थात, आरम्भ में आवेदन जमा करने के दो महीने बाद) नए प्रस्ताव जमा कर सकती हैं।
- वीडियो **(i)** अंग्रेजी या **(ii)** हिंदी में बनाकर पोस्ट किए जा सकते हैं।
- **यू-ट्यूब वीडियो जमा करने की प्रक्रिया**: वीडियो प्रविष्टियों के लिए, टीम लीडर को पहले टीम की 'डिजाइन' वीडियो प्रविष्टियों को यू-ट्यूब पर वीडियो के संक्षिप्त विवरण के साथ अपलोड करना होगा, फिर आवेदन पत्र में यू-ट्यूब लिंक शामिल करना होगा। एक से अधिक प्रविष्टियों के लिए, टीमों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अलग लिंक प्रदान करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद, आगे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और प्रविष्टि लॉक कर दी जाएगी।
- चूँकि यू-ट्यूब चैनल केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उपयोगकर्ता ही बना सकते हैं, इसलिए प्रतिभागियों को अपने माता-पिता/अभिभावकों द्वारा बनाए गए यू-ट्यूब चैनलों पर अपने वीडियो अपलोड करने होंगे।

- आवेदन पत्र में दिए गए सहमति पत्र को जमा करने से पहले उस पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा उसे अपलोड करना होगा।
- फार्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले ड्राफ्ट सुरक्षित रखें और नियम व शर्तें स्वीकार करें। **प्रविष्टि जमा करने की पद्धति**: टीमों के पास सभी प्रविष्टियाँ एक साथ अपलोड करने का विकल्प होगा।
- प्रस्तुतियों में नकल न करने तथा सामग्री चोरी न करने की नीतियों का पालन किया जाएगा; मूलरूप से तैयार न की गई सामग्री या कॉपी की गई सामग्री स्वीकार योग्य नहीं मानी जाएगी। जंक या असुरक्षित आवेदनों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- प्रतिभागियों को एआई सृजित विज़ुअल या कथन का उपयोग किए बिना मूल वीडियो बनाने होंगे।
- प्रतिभागियों और स्कूलों को अपने वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से हैशटैग #BioE3 #Biomanufacturing #DESIGNforBioE3 का उपयोग करके और निम्नलिखित सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

Twitter- @PMOIndia, @DrJitendraSingh, @DBTIndia, @BIRAC_2012, @BricDbt

Linkedin-Dr Jitendra Singh, Department of Biotechnology, BIRAC- Biotechnology Industry Research Assistance Council

YouTube- @dbtindia, #birac

Facebook- Dr Jitendra Singh, Department of Biotechnology, India; DBT-BIRAC

Instagram- dbt_india; DBT BIRAC

विजेता की घोषणा: विजेताओं की घोषणा प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से एक महीने के भीतर की जाएगी। हालाँकि, डीबीटी या MyGov के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों—जैसे प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, तकनीकी समस्याएँ, साइबर घटनाएँ, प्रशासनिक देरी, मूल्यांकन संबंधी समय सीमा में वृद्धि, या सरकारी निर्देश—की स्थिति में घोषणा की समय-सीमा में परिवर्तन हो सकता है। तदनुसार आवश्यक समायोजन किए जाएँगे और प्रतिभागियों को यथासमय सूचित किया जाएगा।

➢ पंजीकरण विवरण

पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें: innovateindia.mygov.in

- प्रत्येक टीम को आधिकारिक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

- अनिवार्य विवरण में शामिल हैं: नाम, जन्मतिथि, राज्य, क्षेत्र, ज़िला, पता, पिन कोड, स्कूल, शिक्षा बोर्ड, संपर्क नंबर (टेलीफोन/मोबाइल), ईमेल आईडी, स्कूल आईडी, माता-पिता/अभिभावक का विवरण, संबद्धता और विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र।
- टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए सभी विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जनरेट होगी।

➢ प्रतिभागियों के लिए वीडियो शूटिंग संबंधी दिशानिर्देश

- वीडियो की शुरुआत में अपना/अपनी टीम का परिचय दें। वीडियो में फोकस क्षेत्र/चुनौती के साथ अपना नाम और स्कूल भी बताएँ।
- वीडियो की अवधि कम से कम 60 सेकंड और अधिकतम 120 सेकंड होनी चाहिए।
- वीडियो क्षैतिज (लैंडस्केप; 16:9) फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड करें।
- बेहतर क्वालिटी के लिए आगे वाले कैमरे की बजाय पीछे वाले कैमरे का इस्तेमाल करें।
- फ़्रेम को एक स्थान पर और स्थिर रखें, किसी भी तरह के कंपन से बचें।
- सुनिश्चित करें कि बैकग्राउंड साफ़ और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से मुक्त हो।

4. समय-सीमा

- शुभारंभ की समय-सीमा: 1 नवंबर, 2025
- सबमिशन विंडो: 20 नवंबर, 2025 (सायं 5:30 बजे) तक
- परिणाम घोषणा और पुरस्कार वितरण: अगले 1 महीने में, यानी अक्टूबर 2026 तक।

यह चक्र अगले 1 वर्ष तक हर महीने दोहराया जाएगा

5. इसमें क्यों भाग लें

- **भविष्य संवारे** - ऐसे विचारों का योगदान देने का अवसर, जो सुरक्षित जैविक नवाचारों के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वास्तव में प्रभावित कर सके।
- **युवा-संचालित परिवर्तन** - युवा मस्तिष्कों के लिए अपनी रचनात्मकता और नवाचार प्रदर्शित करने का एक मंच।

- **दृष्टिकोण और पहचान** - वैज्ञानिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में अलग दिखने का अवसर।
- **कौशल विकास** - भविष्य के नेतृत्व के लिए समस्या-समाधान, टीम वर्क और डिज़ाइन पर विचार करने के कौशल को निखारता है।
- **नेटवर्किंग के अवसर** - वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों, मार्गदर्शकों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करके भविष्य के करियर के द्वार खोलता है।
- **प्रभावशाली विचारों से कार्रवाई तक** - बायो ई-3 के लिए 'डिजाइन' विचार से कार्यान्वयन तक का एक मार्ग है।
- **राष्ट्रीय सेवा** - भारत की आत्मनिर्भरता और सतत विकास में योगदान।

6 प्रस्ताव को मान्यता

- योग्यता प्रमाण पत्र: शीर्ष 10 विजेता प्रविष्टियों को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित एक डिजिटल योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विजेता टीम के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे। उदाहरण के लिए, यदि विजेता टीम में पाँच सदस्य हैं, तो सभी पाँच सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए जाएँगे (उदाहरण के लिए, 5 टीम सदस्य × 10 विजेता प्रविष्टियाँ = 50 प्रमाण पत्र)
- चयनित विचारों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और आधिकारिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- विजेता विचार को डीबीटी/बाइरैक/ब्रिक की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जा सकता है।
- चयनित छात्रों को अपने विचारों का आगे परीक्षण और सत्यापन करने के लिए बाइरैक के ई युवा/बायोनेस्ट इनक्यूबेशन केंद्रों की सुविधाएं और संसाधन भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

7. नियम एवं शर्तें

- प्रतिभागी केवल MyGov InnovateIndia (https://innovateindia.mygov.in/bioe3/) पर पंजीकरण करके ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
- प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।
- प्रतिभागी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनकी MyGov प्रोफ़ाइल सटीक और अद्यतन है, क्योंकि इसी प्रोफ़ाइल का उपयोग आगे सूचना के आदान-प्रदान और प्रमाणपत्र वितरण के लिए किया जाएगा। इसमें स्कूल/संस्थान का नाम, ईमेल (स्वयं या अभिभावक का), मोबाइल नंबर आदि जैसे विवरण शामिल हैं।

- टीम लीडर किसी एक क्षेत्र में एक प्रविष्टि या एक से अधिक प्रविष्टियाँ जमा कर सकता है, किसी माह विशिष्ट में प्रति क्षेत्र केवल एक प्रविष्टि की अनुमति होगी।
- किसी माह विशिष्ट का टीम लीडर आगामी महीनों में भाग लेने के लिए दोबारा टीम लीडर नहीं बन सकता/सकती। हालाँकि, वह फिर से टीम सदस्य के रूप में भाग ले सकता/सकती है, जबकि कोई भी पूर्व टीम सदस्य भविष्य के प्रस्ताव में टीम लीडर के रूप में पंजीकरण करा सकता/सकती है।
- **पंजीकरण के समय लिखित सहमति प्रस्तुत करना**: डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) के अनुपालन में, 18 वर्ष से कम आयु के सभी प्रतिभागियों को पंजीकरण के दौरान माता-पिता या कानूनी अभिभावक से सत्यापन योग्य लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी और प्रस्तुत करनी होगी। इस सहमति में चुनौती के नियमों, व्यक्तिगत डाटा प्रोसेसिंग (संग्रह, उपयोग और भंडारण सहित), वीडियो प्रस्तुतीकरण और संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी होने की पुष्टि करनी चाहिए, और प्रमाणीकरण के लिए अभिभावक के सत्यापन योग्य संपर्क विवरण (जैसे, ईमेल या फ़ोन) शामिल होने चाहिए। इनका पालन न करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिससे नाबालिगों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और विवादों को कम किया जा सकेगा। आवेदन पत्र को जमा करने से पहले संलग्न सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करना होगा।
- बायो ई-3 चैलेंज के लिए 'डिज़ाइन' हर महीने की पहली तारीख से 20 दिनों की अवधि के लिए मासिक रूप से आयोजित किया जाएगा। पोर्टल 20 तारीख की मध्यरात्रि तक प्रविष्टियाँ स्वीकार करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा।
- वीडियो प्रविष्टियों के लिए, टीमों को अपने वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड करने होंगे और आवेदन पत्र में यू-ट्यूब लिंक शामिल करना होगा। एक से अधिक प्रविष्टियों के लिए, टीमों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद, कोई और बदलाव नहीं किया जा सकेगा और प्रविष्टि लॉक कर दी जाएगी।
- चूँकि यू-ट्यूब चैनल केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उपयोगकर्ता ही बना सकते हैं, इसलिए प्रतिभागियों को अपने वीडियो अपने माता-पिता/अभिभावकों द्वारा बनाए गए यू-ट्यूब चैनलों पर अपलोड करने होंगे।
- वीडियो में किसी ऐसे विज्ञापन, पुष्टि, प्रचार या उत्पाद, सेवा या ब्रांडो का संदर्भ नहीं होना चाहिए जो बायो ई-3 विषय से संबंधित न हो। किसी भी प्रकार के हितों के टकराव को रोकने और चुनौती की शैक्षिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए, किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।
- मौजूदा प्रतिबंध के अनुसार, उत्तेजक, आपत्तिजनक, असंवेदनशील, भेदभावपूर्ण या अनुचित सामग्री (बायो ई-3 विषय से असंबंधित) वाली प्रविष्टियों को अविलंब अस्वीकृत कर दिया जाएगा, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाएगा और भविष्य में डीबीटी/MyGov कार्यकलापों से

प्रतिबंधित किया जा सकता है। गंभीर उल्लंघनों (जैसे, अभद्र भाषा या अवैध सामग्री) की सूचना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या अन्य कानूनों के तहत साइबर अधिकारियों को दी जा सकती है, साथ ही स्कूलों/अभिभावकों को भी सूचित किया जा सकता है। इससे उच्च शैक्षिक मानक लागू होते हैं और चुनौती की सत्यनिष्ठा की रक्षा होती है।

- प्रविष्टियाँ बनाने, अपलोड करने और जमा करने में होने वाले सभी व्यय (जैसे, वीडियो निर्माण उपकरण, इंटरनेट शुल्क, या शोध के लिए यात्रा) की पूरी ज़िम्मेदारी प्रतिभागियों की होगी। डीबीटी और MyGov द्वारा कोई प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं दी जाएगी, इससे अपेक्षाएं स्पष्ट होंगी और लागतों के संबंध में दावों या विवादों से बचा जा सकेगा।
- आयोजक उन प्रविष्टियों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे जो खो गई हो, देर से आई हो या अधूरी हो या कंप्यूटर त्रुटि या आयोजक के उचित नियंत्रण से परे किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रेषित नहीं की गई हो। प्रविष्टि जमा करने का प्रमाण, प्रविष्टि की प्राप्त होने का प्रमाण नहीं है।
- जिन प्रविष्टियों का चयन विजेता के रूप में नहीं किया गया है, उनके बारे में प्रतिभागियों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- सभी प्रतिभागियों, टीम के सदस्यों और अभिभावकों को सम्मानजनक और नैतिक आचरण संहिता का पालन करना होगा, जो उत्पीड़न, भेदभाव, अभद्र भाषा, मिलीभगत या किसी भी अन्य अनैतिक व्यवहार को प्रतिबंधित करती है। उल्लंघन करने पर टीम को अयोग्य घोषित किया जाएगा, स्कूल अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, और जहाँ लागू हो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3, या भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम, 2012, या डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अन्य प्रासंगिक उपबंधों के तहत सक्षम प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी।
- प्रविष्टि जमा करने से, प्रतिभागियों के पास अपनी प्रविष्टियों के सभी बौद्धिक संपदा/कॉपीराइट बने रहेंगे। वे केवल डीबीटी/आयोजकों को जागरूकता और आउटरीच के लिए अपनी प्रविष्टियों को प्रकाशित और साझा करने का अधिकार देते हैं। डीबीटी प्रस्तावित कार्य पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। प्रतिभागी अपने नवाचारों को स्वतंत्र रूप से आगे विकसित करने, उपयोग करने या व्यावसायीकरण करने के लिए भी स्वतंत्र रहेंगे।
- प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कार्य मौलिक हो और किसी भी तृतीय-पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो। इसमें भाग लेकर, प्रतिभागी सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं, जिसमें कोई भी अपडेट शामिल है।
- डीबीटी और MyGov किसी भी देरी, अस्वीकृत करने, संशोधन, या उनके उचित नियंत्रण से परे अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, तकनीकी विफलताओं,

साइबर घटनाओं, या सरकारी निर्देशों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ऐसी परिस्थितियों में, परिचालन संबंधी व्यवधानों के सबध में कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए, चुनौती को स्थगित, परिवर्तित या समाप्त किया जा सकता है।

- बायोई3 चुनौती के लिए डिज़ाइन से संबंधित सभी पूछताछ के लिए, जिसमें नियमों, प्रस्तुतियों, तकनीकी मुद्दों, या डाटा अनुरोधों पर स्पष्टीकरण शामिल हैं। प्रतिभागियों को केवल mediacell@dbt.nic.in पर ईमेल भेजना चाहिए; इस संबंध में उत्तर 5 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जाएँगी। इससे सूचना का आदान-प्रदान केंद्रीकृत होता है, अलग-अलद प्रश्नों में कमी आती है, और डीबीटी/बाइरैक/MyGov टीमों से बेहतर सहायता सुनिश्चित होती है।
- इस प्रकार नियम और शर्तें भारतीय कानूनों द्वारा अभिशासित होंगी और यह नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

8. अस्वीकरण

- आवेदन जमा करने या किसी भी रूप में उस पर विचार करने से आवेदकों को पुरस्कार, धनराशि, अनुदान या किसी भी सरकारी या सरकार द्वारा स्थापित सुविधा, जैसे कि युवा/बायोनेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर, तक पहुँच का कोई अधिकार नहीं मिलता। इस मामले में बाइरैक/ डीबीटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और आवेदकों को किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- उच्च शैक्षिक मानकों और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रस्तुतियों की समितियों/विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाएगी। इसमें भाग लेने से ही मान्यता, वित्तपोषण या इनक्यूबेशन सहायता की गारंटी नहीं मिल जाती है।
- यदि प्रस्तुत की गई जानकारी साहित्यिक चोरी, झूठी या त्रुटिपूर्ण है, तो आयोजक के पास प्रतिभागियों/भाग लेने वाले संस्थानों को अयोग्य घोषित करने, प्रविष्टियों को अस्वीकार करने या जमा करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होता हैं।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग को इस प्रतियोगिता और/या नियम व शर्तों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन मानदंडों के सभी या किसी भी भाग को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार है। नियम व शर्तों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन मानदंडों में कोई भी बदलाव, या प्रतियोगिता को रद्द करने की जानकारी MyGovInnovateIndia प्लेटफ़ॉर्म पर अपडेट/पोस्ट की जाएगी। इस प्रतियोगिता के लिए बताए गए नियम व शर्तों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन मानदंडों में किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्थान की ज़िम्मेदारी होगी।

- प्रस्तुत प्रविष्टियों से उत्पन्न होने वाले कॉपीराइट विवादों के लिए डीबीटी/बाइरैक my gov उत्तरदायी नहीं होगा।
- चयन समिति का मूल्यांकन संबंधी निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रतियोगियों पर बाध्यकारी होगा, और चयन समिति के किसी भी निर्णय पर किसी भी प्रतिभागी/भाग लेने वाली संस्था को कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाएगा।
- प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल गतिविधि/प्रतियोगिता/पत्राचार के उद्देश्य से किया जाएगा। MyGov और डीबीटी/आयोजक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्तिगत डाटा किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। सभी डाटा का प्रयोग लागू डाटा संरक्षण कानूनों के अनुसार किया जाएगा

****